न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः— 507/20215
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88 आरटीए

1. अजय कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन बोलावाली तहसील संगरिया।
2. मनीष कुमार पुत्र महेन्द्र कुमार जाति जाट साकिन बोलावाली तहसील संगरिया।

वादी

बनाम

1. महेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम जाति जाट साकिन बोलावाली तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1. श्री नरेश मण्डा— वकील वादीगण
2. श्री संजय धारणियां — वकील प्रति.सं. 1

निर्णय दिनांक :— 13.11.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व तहसील संगरिया के चक नं. 7 ए.एम.पी. ज.स. 2073—2076 के खाता संख्या 75/53 मं 3.795 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी नकल जमाबन्दी वादपत्र संलग्न है। वाद पत्र की चरण संख्या 2. में वर्णित कृषि भूमि वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 नाम से विरासतन होने के कारण हम वादीगण का जन्मजात हिस्सा है। वादपत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित उक्त कृषि भूमि विरासतन होने के कारएण वादीगण अपना हक वा हिस्सा घोषित करवाने का हकदार एवं दावेदार है। उक्त कृषि भूमि को लेकर हम वादीगण एवं प्रति.सं. 1 के मध्य अच्छी मन्दी के अनुसार घरू बंटवारा हो गया। मुताबिक घरू बंटवारा चक नं. 7 एएमपी ज.स. 207372076 के खाता संख्या 75/53 में वादी संख्या 1 को 1.518 है. व वादी संख्या 2 को 1.265 है. कृषि भूमि हिस्सा में आयी जिस पर घरू बंटवारा के रोज से हम वादीगण का शान्ति पूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा है तथा शेष कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के हिस्सा में आयी है। कब्जा काश्त को लेकर कोई विवाद नही है। वादीगण अपने पिता प्रतिवादी संख्या 1 से अलग रहते है व उसका परिवार भी बड़ा हो गया है तथा उक्त कृषि भूमि को सुधार करने व बीज खाद हेतु बैक ऋण आदि लेने की आवश्यकता बनी रहती है व वादीगण अपने हिस्से की कृषि भूमि में सुधार नही कर पायेगें। वादीगण अपने हिस्सा की आराजी का विरासतन खातेदार काश्तकार घोषित करवाने का अधिकारी है। वादीगण ने घरू बंटवारा व कब्जा काश्त के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से कई दफा निवेदन किया कि मुताबिक घरू बंटवारा अनुसार

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया.

हिस्सा की कृषि भूमि का वादीगण को खातेदार काश्तकार मानकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद करवा देवे किन्तु प्रतिवादी संख्या 1 पहले तो टालमटोल करता रहा एवं बाद में ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया। प्रतिवादी संख्या 2 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी संजय कुमार ने अपना शपथ पत्र अ.आ.18 नियम 4 सीपीसी पेश कर साक्ष्य के साथ फार्म नम्बर 3 में वर्णित अनुसार विरास्तन साक्ष्य में चक 7 ए.एम.पी. के खाता संख्या 75/53 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 एव चक 7 एएमपी के खाता संख्या 13/14 जमाबन्दी सम्वत 2049 की जमाबन्दी पेश की गई। जो शामिल पत्रावली है। वकील वादी एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है इसलिए साक्ष्यवादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादी ने कथन किया कि चक 7 ए.एम.पी. के खाता संख्या 75/53 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम के नाम दर्ज है जो हमारी जद्दी जायदाद है। बहस में यह भी कथन किया कि वादी के वाद का प्रतिवादी संख्या 1 ने कोई विरोध नहीं किया इस आधार पर वादपत्र को स्वीकार किया जावे है। पैतृक सम्पति साबित करने हेतु बतौर साक्ष्य में वकील वादी ने चक 7 एएमपी के खाता संख्या 13/14 जमाबन्दी सम्वत 2049 जमाबन्दी पेश की गई है जिसके आधार पर वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है। वादग्रस्त आराजी वाद पत्र के वर्णितानुसार प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम के नाम 7 ए. एम.पी. के खाता संख्या 75/53 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 में आराजी दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद वादी मुताबिक सहमति के जवाब दावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर काबिल स्वीकार होने से स्वीकृत किया जाना उचित प्रतीत होता है।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक सहमति जवाब दावा के आधार पर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि:– प्रतिवादी संख्या 1 महेन्द्र कुमार पुत्र राजाराम के नाम चक 7 ए. एम.पी. के खाता संख्या 75/53 जमाबन्दी सम्वत 2073–2076 मे दर्ज कृषि भूमि मे से वादी संख्या 1 अजय कुमार को 1.518 है. एव वादी संख्या 2 मनीष कुमार को 1.265 है. कृषि भूमि के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का लेखतानुसार हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिक्री अलगं से जारी होकर पत्रावली फ़ैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 13.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया